

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकाम:- जैतारण
 बईजलास :- श्री मनोज कुमार मीणा, आर0ए0एस0
 -: वादी :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

आमीन खान उर्फ फारुख
 खान पुत्र छोदुखान जाति तेली
 मुसलमान निवासी उचियाडा
 तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

1. जमालुदीन पुत्र आदमखान जाति तेली मुसलमान निवासी उचियाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. हल्का पटवारी महोदय, पटवार हल्का जैतारण
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण मु0न0 :रा0वा0स0- 76/2023

राजस्व वाद बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि., 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू-..... व हाजरी श्री रुस्तम खान भाटी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुब्दई व तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी मिनजानिब मुब्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी पाटवा पटवार हल्का पाटवा तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान में स्थित खसरा संख्या 31/23 रकबा 2.0234 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम व खसरा संख्या 37 रकबा 0.9632 हेक्टेयर के भू-अभिलेख में दर्ज प्रविष्टी "नाबा. अमीनखां पुत्र छोदूखां सरंक्षक माता" के स्थान पर "फारुख खान पुत्र छोदू खान" दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें। बसिब मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 30.10.2025 को जारी किया गया।

मोहर



सहायक कलक्टर
 (फास्ट ट्रेक), जैतारण
 जिला-ब्यावर (राज0)

मुब्दई	रूपये	पैसे	मुब्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	3.00		स्टाम्प वकालतनामा	0.00	
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प अर्जी	0.00	
स्टाम्प वजह सबूत	0.00		महनताना वकील	0.00	
महनताना वकील	0.00		खर्चा गवाहान	0.00	
खर्चा गवाहान	0.00		फीस कमीशनर	0.00	
फीस कमीशनर	0.00		बाबत ईजराय हुकमनामा	0.00	
बाबत ईजराय हुकमनामा	2.00		मुत्फरिक	0.00	
मिजान:-	6.00		मिजान:-	0.00	

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
 जैतारण, जिला-ब्यावर